उत्तर प्रदेश शासन

वित्त संसाधन (वित्त आयोग)अनुभाग

संख्या-1/2016/एफ0सी0-02/दस-2016-33/2015

लखनऊ: दिनांक: 21 जनवरी, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश की ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु बुनियादी अनुदान के अन्तर्गत रू0 32198.90 करोड. तथा निष्पादन अनुदान के अन्तर्गत रू0 3577.66 करोड. एवं नगरीय स्थानीय निकायों हेतु बुनियादी अनुदान के अन्तर्गत रू0 8199.37 करोड़ तथा निष्पादन अनुदान के अन्तर्गत रू0 2049.84 करोड़ के अनुदान की संस्तुति वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक की पाँच वर्षो की अवधि के लिये की गई है ।

2- चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश की ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकायों हेतु संस्तुत अनुदान का उपयोग तथा वित्त आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु राज्य स्तर पर "उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति" निम्नवत् गठित किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है :-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य सचिव
3- प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
4- प्रमुख सचिव, नगर विकास,उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य

3- समिति समय-समय पर अनुदान से संबंधित कार्यो की वित्तीय व भौतिक प्रगति की अनुश्रवण करेगी। यह समिति निकायों द्वारा अनुदान के उपयोग का सहवर्ती मूल्यांकन करायेगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अनुदान का उपयोग चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मदों में ही किया जा रहा है ।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

<u>संख्या- 1/2016/एफ0सी0-02(1)/दस-2016-33/2015 तद्दिनांक</u>

उपर्युक्त समिति के गठन की सूचना-

1- पंचायतीराज व नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को इस आशय से प्रेषित की वे चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार कार्यवाही करें तथा समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेना सुनिश्चित करें ।

2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ ।

आज्ञा से,

(मुकेश मित्तल)
सचिव, वित्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.in